

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- 956  
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

बेरोजगारी दर

956. श्री मनीश तिवारी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत 10 वर्षों में देश की 18-30 वर्ष के आयु वर्ग की जनसांख्यिकीय जनसंख्या में बेरोजगारी दर का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विगत 10 वर्षों में युवा श्रमिकों/मजदूरों के वेतन में वृद्धि हुई है अथवा स्थिरता बनी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और मानव विकास संस्थान (आईएचडी) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित भारत रोजगार प्रतिवेदन, 2024, जिसमें यह कहा गया है कि बेरोजगार भारतीयों में से 83 प्रतिशत युवा हैं, पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (घ) सरकार द्वारा युवाओं के लिए रोजगार और वेतन बढ़ाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या प्रभाव हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

पीएलएफएस की नवीनतम रिपोर्टों के परिणामों के अनुसार, पिछले दस वर्षों के दौरान देश में 15-29 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार है:

वर्ष	यूआर (% में)
2017-18	17.8
2018-19	17.3
2019-20	15.0
2020-21	12.9
2021-22	12.4
2022-23	10.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई और श्रम ब्यूरो

पीएलएफएस आंकड़ें दर्शाते हैं कि देश में बेरोजगारी दर में पिछले वर्षों से गिरावट का प्रवृत्ति हुई है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा पिछले कैलेंडर माह के दौरान औसत वेतन/वेतन आय बढ़कर अप्रैल-जून, 2023 की अवधि के दौरान 20,039/- रुपए की तुलना में, अप्रैल-जून, 2018 की अवधि के दौरान 16,848/- रुपए, जो नियमित वेतन/वेतन में 18.94% की वृद्धि दर्शाता है।

आईएचडी द्वारा तैयार भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 दो डेटा सेटों 2000 और 2012 के लिए रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) और 2018 से 2022 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) पर आधारित है।

"कार्यबल परिवर्तन और रोजगार" पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पीएलएफएस सर्वेक्षण एक अलग नमूना ढांचे पर आधारित हैं और रोजगार पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (कन्नन और खान 2022) की तुलना में एक अलग विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। इस वजह से, एनएसएसओ सर्वेक्षणों से उपलब्ध रोजगार और बेरोजगारी पर समय श्रृंखला डेटा, पीएलएफएस आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण [https://dge.gov.in/dge/schemes\\_programmes](https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes) पर देखा जा सकता है।

\*\*\*\*\*